मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक आर 32 /2021/20-2/ भोपाल, दिनॉक 22.04.2021

प्रति,

1- जिला शिक्षा अधिकारी,

2- जिला आयुष अधिकारी,

3- सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास

विषयः- कोरोना संक्रमित होम आइसोलेशन मरीजों के लिए "योग से निरोग" कार्यक्रम।

Covid-19 से संक्रमित ऐसे मरीज जो होम आइसोलेशन में है, के मनोबल में वृद्धि तथा स्वास्थ्य लाभ हेतु राज्य शासन द्वारा "योग से निरोग" कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है।

इस कार्यक्रम के सुचारू संचालन हेतु निम्नानुसार निर्देश दिए जाते हैं-

1. राज्य स्तर पर कार्यक्रम का संचालन आयुष विभाग एवं स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संयुक्त रूप से इंडियन योग एसोसिएशन के सहयोग से किया जावेगा।
2. जिला स्तर पर अपर कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी तथा जिला आयुष अधिकारी की संयुक्त टीम द्वारा इंडियन योग एसोसिएशन के सहयोग से कार्यक्रम का संचालन किया जाएगा।
3. कार्यक्रम का उद्देश्य होम आइसोलेशन के करोना मरीजों को घर पर ही योग तथा प्राणायाम संबंधी क्रियाओं की जानकारी तथा अभ्यास दूरभाष, वीडियो कॉल इत्यादि के माध्यम से कराकर उन्हें पुनः स्वस्थ होने में सहयोग देना है। यह कार्य https://mp.mygov.in/ पर पंजीकृत योग प्रशिक्षक वॉलिंटियर के द्वारा किया जाना है। पंजीयन हेतु राज्य स्तर से SMS भेजा जाएगा जिस के मिलते ही अपेक्षा होगी कि प्रशिक्षक तत्काल उक्त पोर्टल पर अपना पंजीयन योग प्रशिक्षक वॉलिंटियर के रूप में करें। पंजीकरण के दौरान शिक्षक/ प्रशिक्षक अपना इम्प्लाई आईडी तथा अन्य वॉलिंटियर संबंधित योग केन्द्र द्वारा जारी आईडी अथवा अपनी व्यक्तिगत आईडी का निर्धारित स्थान पर उल्लेख करेंगे। यदि ऐसे योग प्रशिक्षक/शिक्षक योग प्रशिक्षक के रूप में पंजीकृत होना चाहते है, जिन्हें एसएमएस

Scanned with CamScanner

प्राप्त नहीं हुआ है, वह भी योग प्रशिक्षक वॉलिंटियर के रूप में पंजीकृत हो सकते है। जिला आयुष अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि ऐसे प्रशिक्षकों के साथ मरीजों की मेपिंग करने के पूर्व उनके प्रशिक्षित होने संबंधी तथ्यों की पुष्टि कर लेवें।

4. पंजीकृत वॉलिंटियर योग प्रशिक्षकों को वेबीनार के माध्यम से दिनांक 23 एवं 24 अप्रैल को मरीजों से किस प्रकार संपर्क कर उन्हें योग एवं प्राणायाम संबंधी मार्ग दर्शन दिया जाना है, इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए पृथक से लिंक भेजी जावेगी।
5. जिला स्तर पर सार्थक पोर्टल पर लॉगइन करने के लिए जिला आयुष अधिकारी के नाम के लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड प्रदाय किए जा रहे हैं। इस आईडी से लॉगिन कर जिला आयुष अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी के सहयोग से होम आइसोलेशन मरीजों की सूची एक्सेल फॉर्मेट में डाउन लोड करेंगे।
6. इसी लॉगिन आईडी से https://mp.mygov.in/ पर लॉग-इन कर जिला आयुष अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी के सहयोग से योग प्रशिक्षक के रूप में पंजीकृत शिक्षकों / प्रशिक्षकों की सूची डाउनलोड करेंगे।
7. उपरोक्त दोनों सूचियों के आधार पर प्रत्येक योग प्रशिक्षक से सामान्यत:10 होम आइसोलेशन मरीज संलग्न किए जाएं। एक ही परिवार के सदस्य होने से यह संख्या 10 से अधिक हो सकती है। यह मैपिंग का कार्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला आयुष अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।
8. जिन होम आइसोलेशन मरीजों को योग प्रशिक्षक के साथ संलग्न किया जाता है उनके नाम, दूरभाष क्रमांक तथा पता प्रशिक्षक को व्हाट्सएप/ SMS के माध्यम से भेजे जाएं. इसी प्रकार मरीजों को भी दूरभाष पर प्रशिक्षक का नाम एवं दूरभाष क्रमांक प्रदाय किया जा सकता है। यह कार्य जिला आयुष अधिकारी द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सहयोग से संपन्न किया जावेगा।
9. योग प्रशिक्षक से अपेक्षा रहेगी कि वह प्रतिदिन होम आइसोलेशन मरीज की सुविधा अनुसार निश्चित समय पर दूरभाष/ वीडियो कॉल इत्यादि के माध्यम से उन से संपर्क कर उन्हें योग एवं प्राणायाम संबंधी क्रियाओं के संबंध में मार्ग दर्शन प्रदान करेंगे तथा अभ्यास भी करवाएंगे। संपर्क के दौरान प्रशिक्षण

Scanned with CamScanner

में जो क्रियान्वयन बिन्दु (SOP) बताए गए हैं, उनका पालन सुनिश्चित किया जावेगा।

10. डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल सेंटर द्वारा प्रतिदिन होम आइसोलेशन मरीजों से दूरभाष पर संपर्क के दौरान योग प्रशिक्षण के संबंध में 03 अतिरिक्त प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके जवाब सार्थक पोर्टल पर उनके द्वारा अंकित किए जाएँगे। इस एंट्री के आधार पर सार्थक पोर्टल पर जिला आयुष अधिकारी के लॉगिन पर रिपोर्ट प्रदर्शित होगी। इस रिपोर्ट की समीक्षा जिला स्तरीय संचालन समिति द्वारा सतत रूप से की जावेगी। राज्य स्तर पर आयुष संचालनालय की लागिन आईडी से राज्य स्तरीय रिपोर्ट उपलब्ध रहेगी।

योग से निरोग कार्यक्रम से अधिक से अधिक योग प्रशिक्षक वालंटियर जुड़ें तथा होम आइसोलेशन के मरीजों को पुनःस्वस्थ होने में सहयोग प्रदान करें, इसका पूरा प्रयास किया जावे।

उक्त निर्देश एवं कार्यक्रम के संबंध में पृच्छा अथवा अधिक जानकारी चाहे जाने की स्थिति में ई-मेल आई डी yog.se.nirog2021@gmail.com अथवा maharshipatanjali2014@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है।

प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग	प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन आयुष विभाग	प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग

पृ.क्रमांक 33 /2021/20-2/ भोपाल, दिनॉक 22.04.2021

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश भोपाल।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय मध्यप्रदेश भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल, कृपया कार्यक्रम के संबंध में अपने स्तर से विभागीय निर्देश जारी करने का अनुरोध है।
5. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग मध्यप्रदेश भोपाल।
6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यकर विभाग मध्यप्रदेश भोपाल।
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क मध्यप्रदेश भोपाल।
8. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग मध्यप्रदेश भोपाल।

Scanned with CamScanner

9. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मध्यप्रदेश भोपाल।
10. आयुक्त लोक शिक्षण/ आदिम जाति कल्याण मध्यप्रदेश भोपाल ।
11. प्रबंध संचालक, मैप आईटी, मध्यप्रदेश भोपाल।
12. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश भोपाल ।
13. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश ।
14. समस्त जिला कलेक्टर मध्यप्रदेश ।
15. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

15. आर्डर बुक।

22/4/21

प्रमुख सचिव
स्कूल शिक्षा विभाग
मध्य प्रदेश शासन

Scanned with CamScanner